

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) नाथद्वारा जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी- रक्षा पारीक, आरक्षण)
प्रकरण संख्या - 2024/207 (रे.वाद)

वादीपक्ष -

1. चमनसिंह पिता नवलसिंह राजपुत निवासी जाम्बोला, तहसील नाथद्वारा
जिला राजसमन्द

प्रतिवादीपक्ष -


1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार नाथद्वारा, जिला राजसमन्द

दावा :- अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट
वादी की ओर से - श्री संदीप सनाढ्य, अधिवक्ता
प्रतिवादीगण की ओर से - पेरोंकार सरकार

मैं इस आशय में दिनांक 14/08/2025 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि प्रकरण में प्रतिवादी तहसीलदार नाथद्वारा की अनुशंषा एवं वादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के जरिये अपना वाद सिद्ध करने में सफल रहने से वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट का स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम मडका पटवार हल्का चिकलवास, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द में कृषि भूमि 2129/1456 रकबा 0.6323 हैक्टेयर भूमि में वादी को शंभूसिंह पिता नवलसिंह के बजाय चमनसिंह पिता नवलसिंह के नाम से खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में ईन्द्राज किया जावे। पालनार्थ तहसीलदार नाथद्वारा को लिखा जावे। पत्रावली फौसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

प्रारम्भिक डिक्री आज दिनांक 14/08/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।




सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
नाथद्वारा जिला राजसमन्द